

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 114 से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 3/8/2018 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री.उत्तमनाथ गोस्वामी वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री इश्वरी प्रसाद पटवारी, प्रस्तावक विभाग की ओर से कु० दीपिका विष्ट कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री अभिषेक मौर्य सलाहकार विवेक इंजी० द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 3.7015 हे०, सिविल सोयम वन भूमि 0.2100 हे०, एवं नाप भूमि 4.3245 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपर्युक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सिगदा की 757 जनसंख्या लाभान्वित होगी। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 593 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें केवल 593 वृक्षों का पातन किया जाएगा, 0 पौधे अन्यत्र रोपित किये जायेंगे। जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 7.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वृक्षों का पातन मात्र 7.00 मी० चौड़ाई में ही कराया जायेगा। पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी है।

ह०/-

(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)
(ग्राम प्रधान)


ह०/-

(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी का प्रतिनिधि)


25/02/19





वन क्षेत्राधिकारी
काजी कुमार्ज रेख
चम्पावत वन प्रभाव

ह०/-

(जिलाधिकारी)

ह०/-
प्रमाणित बनाधिकारी
(प्रमाणित वन-प्रतिकारी)


25/02/19


तहसीलदार
कोट